अध्याय-2

लेखापरीक्षा प्रारूप

2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में पीजीसीआईएल द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क के संवर्धन की स्थिति सहित अप्रैल 2012 और मार्च 2017 के बीच पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित चयनित मुख्य ट्रांसमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधारणा से सभी गतिविधियों को कवर किया गया है।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा उद्देश्य अग्रलिखित का आकलन करना था:

(i) क्या सभी प्रकार (उत्पादन लिंक्ड, ग्रिड सुदृढ़ीकरण, अंतर प्रादेशिक और हरित गलियारों[8]) की परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन योजनाऐं ईष्टतम, उपयुक्त और राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप थी;

(ii) क्या परियोजनाएं मितव्ययी रूप से, कुशलतापूर्ण और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई थी; और

(iii) राष्ट्रीय ट्रांसमिशन ग्रिड क्षमताओं के सुधार पर निवेश के प्रभाव।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदंड हैं:

(i) विद्युत अधिनियम, 2003;

(ii) राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005;

(iii) राष्ट्रीय विद्युत योजना और भावी योजना;

(iv) टैरिफ नीति 2006, अनुवर्ती संशोधन और पुनरीक्षण;

(v) ट्रांसमिशन से संबंधित केन्द्रीय विद्युत नियामक कमीशन (सीईआरसी) द्वारा जारी की गई नियमावली;

(vi) 12वीं योजना दस्तावेज और 12वीं योजना के लिए विद्युत पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट;

(vii) निदेशक मंडल का निर्णय और बोर्ड स्तर की उप समितियां,

---

[8] **हरित मार्ग नवीकरणीयं स्रोतों जैसे वायु तथा सौर ऊर्जा से मुख्यतः विद्युत् निकासी के लिए योजनाबद्ध व निष्पादित प्रेषण मार्ग है**

(viii) पावर सिस्टम योजना, प्रादेशिक पावर समिति (आरपीसी) और परियोजना समीक्षा बैठकों के लिए स्थायी समिति का निर्णय;

(ix) सीईए, सीईआरसी और पीजीसीआईएल को पीओएसओसीओ द्वारा भेजे गये प्रचालनात्मक और अन्य फीड बैक/ टिप्पणियाँ;

(x) पीओएसओसीओ द्वारा अनुरक्षित डेटा (लाईन, पावर प्रवाह, आउटेज आदि की सूची) ;

(xi) विद्युत मंत्रालय/ एमएनआरई/ पर्यावरण और वन मंत्रालय/ सीईए आदि के दिशा निर्देश/ निर्णय; और

(xii) निर्माण कार्य और अधिप्राप्ति नीतियां और प्रक्रियाएं, सीवीसी दिशा निर्देश आदि।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

8 मई 2018 को पीजीसीआईएल के प्रबंधन के साथ एक एंट्री कांफ्रेस की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा नमूने पर चर्चा की गई थी। मई 2018 से सितम्बर 2018 के दौरान क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें पीजीसीआईएल के प्रासंगिक रिकार्ड की जांच की गई थी और प्रबंधन के साथ विचार विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उनकी टिप्पणियों पर प्रबंधन को आपतियां जारी की गई थी। उनकी टिप्पणियों पर 05 नवम्बर 2018 को प्रबंधन को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी। 03 जनवरी 2019 को प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हुये थे। 07 जनवरी 2019 को पीजीसीआईएल के प्रबंधन के साथ एग्जिट कांफ्रेंस की गई थी। उनकी टिप्पणियों पर 05 फरवरी 2019 को विद्युत मंत्रालय का उत्तर प्राप्त हुआ था और 07 जनवरी 2010 को मंत्रालय के साथ एग्जिट कांफ्रेंस की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के कार्यवृत और मंत्रालय के उत्तर को इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से ध्यान में रखा गया।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना और कवरेज

2012-17 की अवधि के दौरान 1,773 ठेका पैकेजों के माध्यम से पीजीसीआईएल ने 294 परियोजनाओं[9] को क्रियान्वित किया। नमूनाकरण को दो चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण में, परियोजनाओं को चयनित किया गया और दूसरे चरण में, चयनित परियोजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत ठेकों का चयन किया गया था। 294 परियोजनाओं जिन पर 2012-17 की अवधि के दौरान

[9] *नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नौ ट्रांसमिशन परियोजनाओं के अलावा*

₹1,09,987.30 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया था, में से 18 उच्च मूल्य की परियोजनाओं में ₹52,599.60 करोड़ (47.82 *प्रतिशत*) का पूंजीगत व्यय शामिल था। इन परियोजनाओं में से दो[10] को पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में कवर किया गया था और एक परियोजना[11] के संबंध में, योजना और ठेका पकैज देना दोनों को 12वीं योजना अवधि से पूर्व अंतिम रूप दिया गया था। शेष 15 परियोजनाओं को वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में जांच हेतु चयनित किया गया है। 15 परियोजनाओं पर किया गया पूंजीगत व्यय मार्च 2017 तक ₹1,09,987.30 करोड़ के कुल व्यय में से ₹46,179.10 करोड़ (41.98 *प्रतिशत*) था।

इसके अतिरिक्त, पीजीसीआईएल ने 157 ठेका पैकेजों द्वारा नवीकरणीय उर्जा हेतु ₹2,999.70 करोड़ मूल्य वाली नौ ट्रांसमिशन परियोजनाएं भी क्रियान्वित की। नौ परियोजनाओं में से, मार्च 2017 तक ₹2,352.88 करोड़ (78.43 *प्रतिशत*) के कुल पूंजीगत व्यय की तीन उच्च मूल्य की चालू परियोजनाओं (हरित ऊर्जा गलियारा परियोजनाएं) का चयन किया गया है। चयनित 18 परियोजनाओं[12] के नमूने में मूल्य के रूप में कुल जनसंख्या का 42.95 *प्रतिशत* तथा परियोजनाओं[13] के रूप में 5.94 *प्रतिशत* शामिल है। चयनित 18 परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-1** दी गई है। इन परियोजनाओं में पंद्रह परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था जबकि दिसम्बर 2018 तक तीन परियोजनाएं चल रही थी।

उपरोक्त 18 परियोजनाओं के कार्य के लिए 326 ठेके[14] दिए गए थे, जिसमें से 120 ठेकों[15] का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्तरित यादृच्छिक नमूनाचयन द्वारा किया गया था।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अग्रलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आगामी अध्यायों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है:

---

[10] *उड़ीसा में फेज-1 जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली -पार्ट बी*

[11] *तूतीकोरिन क्षेत्र (पार्ट-बी) में कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड और इंड-बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड एलटीओए जनरेशन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कॉमन प्रणाली*

[12] *3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और 15 अन्य परियोजनाएं*

[13] *पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में, 20 परियोजनाओं का चयन किया गया था जो मूल्य के संदर्भ में 37 प्रतिशत और अप्रैल 2007 और मार्च 2012 के दौरान पीजीसीआईएल द्वारा नियोजित और निष्पादित परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 14 प्रतिशत थी*

[14] *नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 86 और अन्य परियोजनाओं के लिए 240*

[15] *हरित ऊर्जा हेतु 32 और अन्य परियोजनाओं हेतु 88*

अध्याय 3: ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना और पूर्ण की गई लाईनों की उपयोगिता

अध्याय 4: परियोजना क्रियान्वयन

अध्याय 5: परियोजना निगरानी और

अध्याय 6: निष्कर्ष और सिफारिशें.

2.7 आभार

निष्पादन लेखापरीक्षा को सहज रूप से करने में पीजीसीआईएल के प्रबंधन और विद्युत मंत्रालय द्वारा दिया गया सहयोग सराहनीय हैं और हम इसका आभार व्यक्त करते हैं।